लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल–462023
ई–मेल cmrisedpi@gmail.com

क्र. / सीएम राइज़ / स्था. / 2022/907 भोपाल, दिनांक 26/07/2022

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
2. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय– सीएम राइज़ योजनान्तर्गत सीएम राइज़ विद्यालयों में चयनित हुए लोक सेवकों की पदस्थापना उपरान्त शेष रहे लोक सेवकों का स्थानातंरण एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने विषयक।

सीएम राइज़ विद्यालयों में पदस्थ ऐसे लोकसेवक जिनकी चयन उपरान्त पदस्थापना नहीं हुई है अथवा ऐसे लोकसेवक जिन्होंने सीएम राइज़ विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन नहीं किया है, ऐसे लोकसेवकों की अन्य संस्था में रिक्त पदों पर उसी जिले में पदस्थापना की जाना है। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी –

1. पदस्थापना की संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी जिसके तहत संबंधित लोकसेवकों को अपने लॉगिन आइडी से लॉगइन कर वर्तमान में जो रिक्तियां उस जिले में पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है, उपलब्ध विकल्पों को प्राथमिकता के क्रम में भरकर आवेदन लॉक करेंगे।
2. एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन विकल्प चयन की सुविधा दिनांक 27.07.2022 से 03.08.2022 तक उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन विकल्प चयन न करने की स्थिति में अथवा वरियता अनुसार विकल्प उपलब्ध न होने की स्थिति में जिले में रिक्त किसी भी स्थान पर पदांकन किया जावेगा।
3. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता के क्रम में चाहे गये विकल्पों में से निम्न प्राथमिकता के क्रम में विद्यालय का आवंटन ऑनलाइन सिस्टम द्वारा किया जावेगा। प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रहेगा –

वरियता क्रम	शिक्षक संवर्ग के महिला / पुरूष	स्थानातरंण में वरियता क्रम का क्रमानुसार विवरण
1	महिला वर्ग	आयु 57 वर्ष से अधिक होना।
2	पुरूष वर्ग	आयु 57 वर्ष से अधिक होना।
3	महिला वर्ग	स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में।
4	पुरूष वर्ग	स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में।
5	महिला / पुरूष	विवाह के कारण पत्नि / पति के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानातंरण।
6	महिला वर्ग	निःशक्त श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवक
7	पुरूष वर्ग	निःशक्त श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवक
8	महिला / पुरूष	विधवा अथवा परित्यक्ता / विधुर
9	महिला वर्ग	एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता (संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) मान्य होगी।
10	पुरूष वर्ग	एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता (संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) मान्य होगी।

4. उल्लेखनीय है कि सीएम राइज़ विद्यालय हेतु कृषि, समाज शास्त्र, उर्दू, गृह विज्ञान विषयों में परीक्षा आयोजित नहीं की थी। अतः सीएम राइज़ विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत इन विषयों के शिक्षक यथावत पदस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त सह अकादमिक पद यथा एनसीसी, खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत शिक्षक भी यथावत निर्धारित पदसंरचना के आधार पर पदस्थ रखे जा सकेंगे।

निरन्तर...2..

5. उपर्युक्तानुसार जिन शिक्षकों की पदस्थापना सीएम राइज़ विद्यालयों से अन्यत्र की जाना है, उन शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई सूची के आधार पर तैयार की गई है। यदि उक्त सूची से किसी शिक्षक का नाम छूटा हो तो तत्काल उसके यूनिक आईडी के साथ प्रेषित करें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सूची अनुसार शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सूचित करें।

6. लोक सेवकों को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण किये जाने की कार्यवाही भी एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन संपादित की जाएगी।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्र. / सीएम राइज़ / स्था. / 2022 / 908 — भोपाल, दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य सीएम राइज़ विद्यालय मध्यप्रदेश।
6. सर्वसंबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.